classmate
Date
Page

DATE: 26/09/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 09 (SUPREME COURT: ~~JURISDICTION~~)
LECTURE NO. - 20

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के उदय और विकास में सहायक तत्व या परिस्थितियाँ —

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के उदय और विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों का योगदान रहा है —

(1) अमेरीका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए जनहित अभियोग —

अमेरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे जनहित अभियोगों की शुरुआत की, जिनमें पीड़ित पक्षों की कमजोर स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका को न्यायालय द्वारा विचार हेतु स्वीकार किया जाता है। इसका प्रभाव भारत में भी हुआ और इससे प्रेरित होकर भारत में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा।

(2) राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के आचरण में गिरावट —

न्यायिक सक्रियता के उदय में राजनीतिक दलों और नेताओं के आचरण में गिरावट एवं उनके कथनी और करनी में अन्तर

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

भी जिम्मेवार रहा है। यदि हम गत तीन-चार दशकों के बारे में विचार करेंगे, तो पाएँगे कि नेताओं के आचरण में अत्यधिक गिरावट देखी गई। राजनीति दलों के नेता विभिन्न तरह के आर्थिक-सामाजिक हितों का नारा देकर विधायिका में पहुँच जाते और व्यवहार में जनता के हितों का घोर अनदेखी करते। इसी परिस्थिति ने समाज के संवेदनशील वर्गों एवं न्यायपालिका को उद्विग्न कर दिया और न्यायपालिका ने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका को जनता के हितों के प्रति सचेत करने की जरूरत समझी, जिसके फलस्वरूप न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ।

(3) विधायी संस्थाओं में व्याप्त घोर अव्यवस्था और कार्यपालिका की अक्षमता —

विधायी संस्थाओं में जब घोर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई, 'राजनीति उठा स्वर पटक' वाली स्थिति हो गई, येन-केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना ही नेताओं का ध्येय बन गया, विधायी संस्थाओं में पक्ष और विपक्षी नेताओं के मध्य निरन्तर खुले और गंदे टकराव होने लगे, कार्यपालिका अपने दायित्व को निर्वहन करने में अक्षम होने लगी और इन सभी परिस्थितिओं के कारण राज व्यवस्था में एक रिक्तता महसूस की जाने लगी, तब न्यायपालिका ने इस रिक्तता को भरने का प्रयास किया, जिसके उपरान्त न्यायिक सक्रियता का विकास हुआ।

पी० ए० ईनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश लहोटी ने कहा था, " जब सरकार के दो अन्य अंग व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपना कार्य नहीं करते, तब न्यायपालिका को सक्रिय होना ही होता है।"

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

(4) सर्वोच्च कार्यपालिका की अपने दायित्व से बचने की प्रवृत्ति —

कार्यपालिका की अपने दायित्व से बचने की प्रवृत्ति ने भी न्यायिक सक्रियता के विकास में अहम् योगदान दिया है। कार्यपालिका के द्वारा ऐसे कई कार्य जो राजनीतिक प्रकृति के थे, को न्यायपालिका को सौंपने की चेष्टा की गई। चाहे मण्डल विवाद को हल करना हो, चाहे अयोध्या में विवादास्पद ढाँचा ढहने सम्बन्धी विवाद को हल करना हो, चाहे आरक्षण सम्बन्धी विवाद, नदी जल विवाद आदि सभी तरह के विवाद को हल करने के लिए न्यायपालिका की ओर देखा जाने लगा।

(5) राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार —

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ने न्यायिक सक्रियता के उदय में उत्प्रेरक का कार्य किया।

उपर्युक्त वर्णित तत्वों या परिस्थितियों के अलावा और भी ऐसे कारक हैं जिसने न्यायिक सक्रियता के विकास में योगदान दिया है।

x —————— x —————— x —————— x